

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1167] No. 1167] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 26, 2017/वैशाख 6, 1939

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 26, 2017/VAISAKHA 6, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2017

का.आ. 1316(अ).—केन्द्रीय सरकार, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 6 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परंतुक के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित स्थापनों को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

- (1) रेल ;
- (2) वायु यातायात सेवा ;
- (3) खान;
- (4) तेल क्षेत्र।

[फा. सं. एस-31018/01/2016-डब्ल्यूसी (पीडब्ल्यू)]

के. एम. गुप्ता, मुख्य श्रम और रोजगार सलाहकार

2782 GI/2017 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2017

S.O. 1316(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to section 6 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), the Central Government hereby specifies the following establishments for the purposes of the said proviso, namely:-

- 1. Railway;
- 2. air transport services;
- 3. mines;
- 4. oil fields.

[F. No. S-31018/01/2016-WC(PW)]

K. M. GUPTA, Principal Labour and Employment Adviser